07.09.2020 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न कागजात तथा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार कायम खाताधारी को बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि पर अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के रे0मिस केस सं0 13/80–81 में पारित आदेशानुसार मौजा सरौनी थाना सं0 441 के गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत खेसरा सं0 969 का अंश रकवा 00–10–00 धूर एवं खेसरा सं0 2286 का अंश रकवा 00–08–00 धूर पर दखल दिहानी प्राप्त है। स्थल जांच में पाया कि दाग सं0 969 की बंदोबस्त भूमि पर खाताधारी का मकान बना हुआ है तथा खेसरा सं0 2286 की बंदोबस्त भूमि के अधिकांश भाग पर ग्रामीण पथ बना हुआ है।

अतः संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 तथा पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020–1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर मौजा सरौनी थाना सं0 541 के गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत खेसरा सं0 969 का अंश रकवा 00–10–00 धूर एवं खेसरा सं0 2286 का अंश रकवा 00–08–00 धूर किस्म– परतीकदीम भूमि की यमुना प्रसाद साह पिता हरिहर प्रसाद साह सा0 सरौनी के साथ कायम जमाबंदी को नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

7.9.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।